प्रार्थीगण की ओर से स्थगन प्रार्थना पत्र एडवोकेट लगाकर शर्मा द्वारा पेश हुआ। अन्तरिम स्थगन हेतु प्रार्थीगण के अधिवक्ता को सुना गया।

प्रार्थीगण के अधिवक्ता को सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने तथा जमाबन्दी का अवलोकन करने पर प्रार्थीगण का प्रकरण प्रथम दृष्टया सुदृढ़ एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता हैं। इसलिए प्रार्थीगण के पक्ष में अन्तरिम स्थगन के आदेश प्रारित करना उचित समझते हैं।

अतः अप्रार्थीगण को जरिये स्थगन पाबन्द किया जाता हैं कि ग्राम ताला तहसील जमवारामगढ़ में स्थित अप्रार्थीगण कि खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 425 के नवीन नक्शें में गलत अंकन कि ऑड में प्रार्थीगण की वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 426, 427 के साबिक खसरा नम्बर 323 के अनुसार कब्जे काश्त से किसी भी प्रकार से बेदख लना करें। , उक्त आदेश पर आपत्ति हो, तो न्यायालय हाजा में आगामी तारीख पेशी दिनांक 29–06–2018 को पेश करें। आदेश की प्रालनार्थ तहसीलदार एवं सम्बन्धित थानाधिकारी को तहरीर जारी हो। पत्रावली दिनांक 29–06–2018 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ (जयपुर)

5/6/18 पत्रावली आज दिनांक के कैम्प न्याय आपके द्वार कैम्प ताला मे प्रस्तुत हुई। मूल प्रकरण को खारिज किया है अब इस प्रार्थना का कोई औचित्य नही है इसलिये उक्त प्रार्थना को खारिज किया जाता है पत्रावली रोकाल शुमार होकर जमवारामगढ़ के कार्य हो बाद वापिस रखा जावे।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़